राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक अराजपत्रित / भर्ती प्रकोष्ठ / म स्वा का / 2019 / दिनांक

ममतेश कुमारी शर्मा
पुत्री श्री प्रभु दयाल शर्मा
निवासी जयपुर
आई डी संख्या 4202972

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के सदर्भ म माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य म दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर म याचिका सख्या **11082 / 2019** ममतेश कुमारी शर्मा बनाम सरकार व अन्य दायर की है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2019 को निर्णय पारित कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 18.06.2018 के सन्दर्भ मे याचिकाकर्ता की अभ्यर्थता अतरिम रूप से शामिल किये जाने एव दस्तावेज सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देशित किया है, के क्रम म महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के सदर्भ म दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी कार्यक्रम मे आपका दिनांक 16.12.2019 को मालवीय राष्ट्रीय प्राद्योगिकी सस्थान जयपुर (MNIT) म निदेशालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशो के अनुसार उपस्थित होना निर्धारित किया गया है।

अत आप दस्तावेज सत्यापन हेतु सबधित मूल दस्तावेजो के साथ दिनांक 16.12.2019 को प्रातः ... मालवीय राष्ट्रीय प्राद्योगिकी सस्थान, जयपुर (MNIT) म उपस्थित होवे।

शेष नियम व शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(डॉ0 सजय सक्सेना)
नोडल अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) एव
सयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक अराजपत्रित / भर्ती प्रकोष्ठ / म स्वा का / 2019 / 36 दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. श्री सजय राजपाल समन्वयक एमएनआईटी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप उपरोक्त अभ्यर्थियो के दस्तावेज सत्यापन कराये जाने कि व्यवस्था कराने का श्रम करे।
3. याचिकाकर्ता को रिट मे दिये पते पर।
4. प्रोग्रामर सदर्भ म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(डॉ0 सजय सक्सेना)
नोडल अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) एव
सयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

Letter SS